अनुदान संख्या 25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 25 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	127874,34,00	127874,39,00	117984,18,49	-9890,20,51
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				9792,39,44
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original		76,00	25,08	-50,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				50,92

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – समाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	5426.00	4739.51	4653.91	-50.60
पु.	R.	-691.49			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	2280883.00			
पू.	S.	1.00	2471010.61	2470966.06	-44.55
पु.	R.	190126.61			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	702963.00			
पू.	S.	2.00	8845.89	..	-8845.89
पु.	R.	-694119.11			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	9580576.00			
पू.	S.	2.00	9165547.69	9164707.67	-840.02
पु.	R.	-415030.31			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	217586.00			
			158060.86	158060.85	-1
पु.	R.	-59525.14			

(I) ₹703034.20 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹2.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹701668.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹703034.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.20 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025) remained wholly unutilized under twenty four heads; of these ₹701668.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads :-

(का) "माध्यमिक शिक्षा – गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹77400.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies" - ₹77400.00 lakhs due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" –

(B) "Elementary Education - Other Expenditure" -

(क) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)" – ₹71400.00 लाख; और

(a) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - ₹71400.00 lakhs; and

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹230741.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education"- ₹230741.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने तथा राज्यों के आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों के कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of part amount and receipt of less viable proposals from States for recurring and non-recurring grants.

(ग) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹44061.00 लाख;

(c) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - ₹44061.00 lakhs;

(गा) "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – नया भारत साक्षरता कार्यक्रम" – ₹1349.00 लाख;

(C) "Adult Education - Other Adult Education Programmes - New India Literacy Programme" - ₹1349.00 lakhs;

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹15854.00 लाख; और

(ख) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹19170.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹14800.00 लाख;

(घ) "समग्र शिक्षा" – ₹36233.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹38500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने तथा राज्यों से आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹10911.00 लाख;

(ग) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹10060.00 लाख; और

(घ) "समग्र शिक्षा" – ₹131189.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के

(a) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - ₹15854.00 lakhs; and

(b) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹19170.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(c) "Elementary Education - Other Expenditure" - ₹14800.00 lakhs;

(d) "Samagra Shiksha" - ₹36233.00 lakhs; and

(E) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Elementary Education - Other Expenditure" - ₹38500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of part amount and receipt of less viable proposals from States for recurring and non-recurring grants.

(b) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - ₹10911.00 lakhs;

(c) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹10060.00 lakhs; and

(d) "Samagra Shiksha" - ₹131189.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provision under the above thirteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part

लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि के अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग" के अंतर्गत ₹742.09 लाख की बचत (₹5426.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of School Education and Literacy" - saving of ₹742.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5426.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(III) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:

(का) "प्रारंभिक शिक्षा"

(A) "Elementary Education"

(क) "निदेशन और प्रशासन – पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹37051.77 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹140615.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से किश्तों के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹37051.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹140615.10 lakhs (including token supplementary grant of 0.10 lakh obtained in December, 2024) was due to less receipt of viable proposals from UTs for instalments.

(ख) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)"–

(b) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)"-

(i) "बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" – ₹1434.68 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई;

(i) "Assistance to Union Territories without legislature" - saving of ₹1434.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for recurring and non-recurring grants;

(ii) "राष्ट्रीय घटक" – ₹1206.49 लाख की बचत (₹1703.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई;

(ii) "National Component" - saving of ₹1206.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1703.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) “समग्र शिक्षा” – ₹6762.58 लाख की बचत (₹8068.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)” – ₹1046.15 लाख की बचत (₹1067.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ; और

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – समग्र शिक्षा” – ₹2410.52 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13324.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से चौथी किस्त के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “माध्यमिक शिक्षा” –

(क) “छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां” – ₹2240.10 लाख की बचत (₹28300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – स्वायत्त निकायों को अनुदान” – ₹5705.00 लाख की बचत (₹1117687.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम” – ₹700.96 लाख की बचत (₹1853.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदानों और व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्र प्रायोजित योजनाएं”

(i) “Samagra Shiksha” - saving of ₹6762.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8068.00 lakhs);

(ii) “PM Schools for Rising India (PM SHRI)” - saving of ₹1046.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1067.00 lakhs); and

(d) “Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha” - saving of ₹2410.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13324.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in December, 2024).

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals from UTs without legislature for 4th instalment.

(B) “Secondary Education” -

(a) “Scholarships - Scholarships” - saving of ₹2240.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28300.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(b) “Assistance to Non-Govt. Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies” - saving of ₹5705.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1117687.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Adult Education - Other Adult Education Programmes - New India Literacy Programme” - saving of ₹700.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1853.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals for recurring grants and professional Services.

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally

के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः –

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)" – ₹87413.07 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹759028.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों के लिए कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹59622.64 लाख की बचत (₹218657.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – राज्यों के लिए शिक्षण–अध्ययन और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स)" – ₹31634.05 लाख की बचत (₹88500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति और किश्तों की देरी से प्राप्ति के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹41780.60 लाख की बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹689430.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "सुदृढ़ीकरण शिक्षण– राज्यों के लिए शिक्षण और परिणाम (स्टार्स)" – ₹6699.63 लाख की बचत (₹21000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Assistance/ Share" -

(a) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - saving of ₹87413.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹759028.40 lakhs including token supplementary grant of 0.40 lakh obtained in December, 2024) was due to receipt of less viable proposals from states for recurring and non-recurring grants.

(b) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹59622.64 lakhs (against sanctioned provision of ₹218657.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from State Government.

(B) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹31634.05 lakhs (against sanctioned provision of ₹88500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States and late receipt of instalments.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹41780.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹689430.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in March, 2025); and

(b) "Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹6699.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from State Governments.

(ग) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)" – ₹51151.23 लाख की बचत (₹233200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - saving of ₹51151.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹233200.00 lakhs);

(घ) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹54223.20 लाख की बचत (₹97341.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(d) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹54223.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹97341.00 lakhs); and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹8277.99 लाख की बचत (₹41459.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹8277.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41459.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से अनावर्ती अनुदानों के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals from State Governments for recurring grants.

(ख) "सुदृढ़ीकरण शिक्षण– राज्यों के लिए शिक्षण और परिणाम (स्टार्स)" – ₹2021.25 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति और किश्तों की प्राप्ति में देरी के कारण हुई।

(b) "Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹2021.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from State Government and late receipt of instalments.

(ङ) "आरक्षित निधियों / जमा लेखों में अंतरण" –

(E) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Account" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण हेतु निधियां" – ₹210000.00 लाख की बचत (₹4300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Funds for transfer to Prarambhik Shiksha Kosh" - saving of ₹210000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300000.00 lakhs); and

(ख) "माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण हेतु निधियां" – ₹99000.00 लाख की बचत

(b) "Funds for transfer to Madhyamik and Uchhtar Shiksha Kosh (MUSK)" - saving of

(₹600000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)" – ₹5013.03 लाख की बचत (₹26030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनावर्ती अनुदानों के लिए कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹12327.13 लाख की बचत (₹111489.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चौथी किस्त के लिए संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी) से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(ग) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹14137.85 लाख की बचत (₹22192.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)" – ₹538.83 लाख की बचत (₹3002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹6897.79 लाख की बचत (₹7761.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

₹99000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - saving of ₹5013.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26030.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals for non-recurring grants.

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹12327.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111489.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from UTs (Delhi, J&K, Puducherry) towards 4th instalment.

(c) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹14137.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22192.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - saving of ₹538.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3002.00 lakhs); and

(b) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹6897.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7761.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत आवर्ती अनुदानों के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(ग) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹8272.55 लाख की बचत (₹19765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹8919.95 लाख की बचत (₹20400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के बचतें संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुचेरी) से चौथी किस्त के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ख) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)" – ₹600.39 लाख की बचत (₹2501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदानों के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(ग) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)" – ₹2347.41 लाख की बचत (₹3702.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती और गैर–आवर्ती अनुदानों के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव की देरी से प्राप्ति के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹327.24 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹246232.56 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से अप्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals for recurring grants.

(c) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹8272.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19765.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹8919.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from UTs (Delhi, J&K, Puducherry) towards 4th instalment.

(b) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - saving of ₹600.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2501.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for recurring grants.

(c) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)"- saving of ₹2347.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3702.00 lakhs) was due to late receipt of viable proposal for recurring and non-recurring grants.

(V) Under one head saving of ₹327.24 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹246232.56 lakhs) unutilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in December, 2024 and March, 2025 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" – "प्रारंभिक शिक्षा – समग्र शिक्षा" – ₹9012.59 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9012.86 लाख था।

(A) Major Head "2202" - "Elementary Education - Samagra Shiksha - Samagra Shiksha" - ₹9012.59 lakhs. Actual excess, however, was ₹9012.86 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ"–

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹92440.88 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹90723.19 लाख था।

(a) "Central Assistance/Share - Samagra Shiksha - Elementary Education" - ₹92440.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹90723.19 lakhs.

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना"–

(b) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)" – ₹13366.07 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15953.40 लाख था।

(i) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Norman (PM-Poshan)" - ₹13366.07 lakhs. Actual excess, however, was ₹15953.40 lakhs.

(ii) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹131413.02 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹129054.85 लाख था।

(ii) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - ₹131413.02 lakhs. Actual excess, however, was ₹129054.85 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2202" – "माध्यमिक शिक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं –

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2202" - "Secondary Education" -

(का) "अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹1042.12 लाख का अधिक व्यय (₹50700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनसीईआरटी द्वारा भूमि और भवन तथा कार्यालय उपकरण और फर्नीचर की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Research and Training - Grants to Autonomous Bodies" - excess of ₹1042.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of land and buildings and office equipment and furniture by NCERT.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹8223.00 लाख का अधिक व्यय (₹194950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और केंद्रीय विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य के लिए

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants to Autonomous Bodies" - excess of ₹8223.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹194950.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of

अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹3624.00 लाख का अधिक व्यय (₹91000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों के पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(घा) "आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण – माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण के लिए निधि"– ₹227560.00 लाख का अधिक व्यय (₹537700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का अधिक अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

3. प्रारंभिक शिक्षा कोषः–

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध– योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच अंतर को भरने के लिए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 ने निगम कर, निगम कर के अलावा आय पर कर, लाभ कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क और सेवा कर पर @ 2 प्रतिशत शिक्षा उप–कर लगाया।

पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत नवंबर, 2005 में भारत के लोक लेखा में गैर– व्यपगत निधि का सृजन किया गया था जिसे प्रारंभिक शिक्षा कोष कहा जाता है।

इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में शिक्षा उप–कर के सभी आगम जमा किए जाएगें जिन्हें "समग्र शिक्षा अभियान और मिड–डे–मील स्कीम" पर व्यय किया जाता है। किसी वित्त वर्ष में इन योजनाओं पर किया गया व्यय आरंभ में समग्र बजटीय सहायता (जीबीएस) से खर्च किया जाएगा। योजना आबंटन का घटक और इन योजनाओं पर व्यय जीबीएस के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्त पोषित किया जाएगा।

additional funds towards ongoing construction work at Kendriya Vidhyalaya.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies" - excess of ₹3624.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹91000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK)" - excess of ₹227560.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹537700.00 lakhs) was due to more transfer of funds.

3. *Prarambhik Shiksha Kosh:-*

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalization of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes "Samagra Shiksha Abhiyan" and "Mid-Day Meal Scheme" Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

₹43000.00 लाख का प्रावधान केंद्रीय बजट 2024—25 में किया गया था जिसे 02 प्रतिशत के शिक्षा उपकर से अनुमानित प्राप्तियों के सापेक्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष में आरंभ में अंतरित किया जाना था। बजट प्राक्कलन में 2024—25 में समान राशि का प्रावधान किया गया था जिसे समग्र शिक्षा अभियान और मीड—डे— मील (पीएम पोषण) से संबंधित योजनाओं में खर्च हुए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्राप्त किया जाना था।

A provision of ₹43000.00 crores was made in the Union Budget 2024-25 for initial transfer to Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2024-25 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Samagra Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal (PM Poshan).

वर्ष 2024—25 के लिए निधि का लेखा—जोखा इस प्रकार था:—

The Account of the Fund for the year 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	2242,89,63
प्राप्तियां	Receipt	40900,00,00
अदायगियां	Payments	40900,00,00
अंत शेष	Closing Balance	2242,89,63

4. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष — माध्यमिक शिक्षा कोष :—

4. Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK) - Madhyamik Shiksha Kosh :-

सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए कार्यक्रम के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच अंतर को पाटने के लिए, वित्त अधिनियम, 2018 ने राजस्व कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से गणना करके स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया।

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalized quality basic education and secondary and higher education, the Finance Act, 2018 levied a Health and Education Cess calculated at the rate of four percent on Income Tax and surcharge.

एक गैर—व्यपगत निधि और गैर—ब्याज वहन जिसे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष कहा जाता है 2018 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत के सार्वजनिक खातों में बनाया गया था।

A non-lapsable fund and in the non-interest bearing called Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the Ministry of Education in 2018.

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का एक प्रतिशत इस माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में जमा किया जाना है जिसका उपयोग स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत योजनाओं पर खर्च किया जाएगा जैसे 'समग्र शिक्षा', 'राष्ट्रीय साधन—सह—योग्यता छात्रवृत्ति योजना', केंद्रीय विद्यालय

One percent out of Health and Education Cess is to be credited in to this Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh for being spent on the schemes under Department of School Education and Literacy viz. 'Samagra Shiksha', 'National Means-

संगठन', नवोदय विद्यालय समिति', और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत योजनाएं जैसे 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन', 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान', 'गारंटी निधि के लिए ब्याज सब्सिडी और योगदान', 'कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति योजना' और 'स्वायत्त निकायों को अनुदान'। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर किया गया व्यय शुरू में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से किया जाएगा। योजना आवंटन का घटक और इन योजनाओं पर व्यय जीबीएस समाप्त होने के बाद ही माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से वित्तपोषित किया जाएगा।

₹11377 का प्रावधान शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय बजट 2024–25 में राजस्व कर और अधिभार पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर में से 1% की अनुमानित प्राप्ति के 40% के सापेक्ष माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष को प्रारंभिक हस्तांतरण हेतु ₹1 करोड़ का प्रावधान किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजनाओं से संबंधित योजनाओं पर किए गए व्यय के संबंध में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2024–25 में ₹11867 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

cum-Merit Scholarship Scheme', 'Kendriya Vidyalaya Sangathan', 'Navodaya Vidyalaya Samiti', and Schemes under Department of Higher Education viz. 'Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan', 'Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan', 'Interest Subsidy & Contribution for Guarantee Funds', 'Scholarship for Colleges & University Scheme' and 'Grants to Autonomous Bodies'. Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

A provision of ₹11377 crore under the Department of School Education & Literacy, Ministry of Education was made in the Union Budget 2024-25 for initial transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh against 40% estimated receipt of 1% out of 4% Health and Education Cess on Income Tax and Surcharge. An amount of ₹11867 crore was provided in B.E. 2024-25 for amount to be recouped from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to schemes under the Ministry of Education.

The Account of the Fund for the year 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	11000,00,00
प्राप्तियां	Receipt	12662,60,00
अदायगियां	Payments	11162,00,00
अंत शेष	Closing Balance	12500,60,00